>

Title: Alleged irregularities in the implementation of Backward Areas Development Scheme.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति जी, इस गंभीर विषय पर बोलने के लिए आपको धन्यवाद। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के नाम पर 600 करोड़ रुपये से ऊपर मुहैया कराती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस निधि के प्रावधानों के अनुसार इसका 70 प्रतिशत भाग ग्राम-पंचायतें खर्च करती हैं, शेष 30 प्रतिशत भाग में क्षेत्र की पंचायत, जिला पंचायत और नगर निकाय खर्च करते हैं। इस निधि की जो कार्य योजना है, वह जिला योजना समिति में प्रदेश सरकार के मंत्री की अध्यक्षता में स्वीकृत होती है और वहां से जब प्रदेश सरकार को आती है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, 6 प्रमुख सचिवों, जिनमें वित्त और पंचायती राज के सचिव भी होते हैं, उसे स्वीकृत कर अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को भेजते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित होने के बाद जो धन अवमुक्त हो जाता है, वह धन जनपदों में पुनः उस कार्य की वित्तीय स्वीकृति के लिए पंचायती राज विभाग से लेने का प्रावधान नियमों में नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसी प्रक्रिया के साथ ही गोल-माल शुरु होता है। अगर 100 काम किसी जिले में हैं तो कभी 8 की वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, कभी 9 की वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, कभी 10 की वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और यह वित्तीय स्वीकृति क्यों मिलती है, इसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, यहां बसपा के भी नेतागण हैं, वे समझते ही होंगे कि क्यों मिलती है? मैं केवल आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में महाराजगंज मेरा संसदीय क्षेत्र है। वहां विगत दिनों में जो कुछ हुआ, कार्य के लिए क्षेत्र पंचायत ने अपने ग्राम अधिकारी बनाए। उसके सामानों की आपूर्ति के लिए टेंडर होता है और मेरे संसदीय क्षेत्र के सिसवा, फरेदा, निचलौल और नौतनवा में मांग के सामानों की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, उसके पहले ही भवन निर्मित हो गये हैं, यह सब क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि वहां पैसा देकर वित्तीय स्वीकृति की जा रही है और जो लोग पैसा देते हैं, उन्हें किसी कानून का भय नहीं है। आज वहां पर इस पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के नाम पर यह सब हो रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो लूट हो रही है, उसकी जांच कराई जाए। मेरा कहना है कि बसपा के जो नेता सदन हैं, वे अकेले जाकर उसकी जांच कर लें और अगर ये संतुष्ट न हो जाएं, मेरे आरोपों को ये गलत सिद्ध कर दें तो मैं यहां से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, नहीं तो ये इस्तीफा देकर चले जाएं।...(व्यवधान) ये कहां की बात करते हैं, ये अकेले चलें और जांच कर लें।...(व्यवधान) अगर ये मेरे आरोपों को गलत बता दें तो मैं इस्तीफा देकर जला जाऊंगा, नहीं तो ये चले जाएं। ...(व्यवधान) हर बात पर खड़े होकर बचाव करने का प्रयत्न मत कीजिए। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यहां संघीय व्यवस्था है क्या किया जाए? मैं कहता हूं कि जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा भी होगा, ऐसी लूट होगी? इसलिए अफसरों की एक टीम बनाकर इसकी जांच कराई जाए और उत्तर प्रदेश में लूट को समाप्त कराया जाए। धन्यवाद।